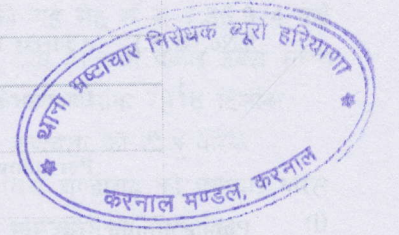


**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2023  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0012 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):  
04/05/2023 12:36 hrs

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                     | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1               | IPC 1860                           | 409                 |
| 2               | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2)               |
| 3               | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(a)            |



3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

- 1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/04/2019 Date To (दिनांक तक): 02/08/2021  
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 10:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs  
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/05/2023 Time (समय): 11:12 hrs  
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 04/05/2023 11:12 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-WEST, Beat No. (बीट सं.): 45 Km(s)

(b) Address (पता): Assandh,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Charan Singh

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/05/1965

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):



(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                                                              |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Present Address              | 2206, Anti Corruption Bureau, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |
| 2               | Permanent Address            | 2206, Anti Corruption Bureau, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416989196

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम)                                      | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता)       |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                | निरीक्षक कपिल देव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग असन्ध |               | Father's Name: राजेन्द्र सिंह      | 1. अम्बोली, JHAJJAR, HARYANA, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                  |                                     |                                    |                     |                                  |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

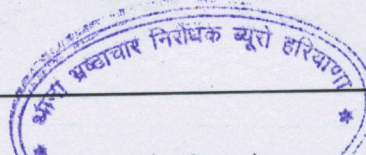
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। विषय:- जांच क्रमांक 02 दिनांक 09/12/2021 करनाल की रिपोर्ट पर अभियोग अंकित करने बारे तहरीर। श्री मान जी, निवेदन है कि उपरोक्त जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यदि क्रमांक 55/07/2021-3 चौकसी -II दिनांक 03/12/2021 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांक क्रमांक 18824/आई-5 रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा





दिनांक 09/12/2021 अनुसार दर्ज रजिस्ट्रार होकर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल में जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिसकी जांच निरीक्षक चरण सिंह द्वारा की गई थी जांच पूर्ण होने पर अन्तिम रिपोर्ट पत्र क्रमांक 109 रा.चौ.ब्यूरो करनाल दिनांक 12/01/2023 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई। महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा जांच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 2653/ रा.चौ.ब्यूरो (ह) दिनांक 14/02/2023 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 55/07/2021-3 चौकसी हरियाणा दिनांक 15/03/2023 अनुसार तथा महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 5822/आई-5 भ.नि.ब्यूरो हरियाणा दिनांक 10/04/2023 अनुसार अभियोग अंकित करने बारे प्राप्त हुई है। यह कि वर्ष 2019-20 में असन्ध पी.आर.केंद्र पर नियुक्त निरीक्षक कपिल देव द्वारा कुल 7,98,079 कटटे प्रति कट्टा 50 किलोग्राम जिसका कुल वजन 3,99,039.50 क्विन्टल गेहूँ, खरीद की जानी पाई गई, रिकार्ड अनुसार माह 7 - 2019 से माह 8 - 2021 तक उक्त खरीद की गई गेहूँ में से 7,86,974 कट्टे जिसका कुल वजन 3,89,173.15 क्विन्टल एफ.सी.आई. करनाल को भेजा जाना पाया गया है। इसी प्रकार उक्त समय में खरीद की गई गेहूँ की गुणवत्ता कम होने के कारण एफ.सी.आई. करनाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 7916 दिनांक 14.12.21 अनुसार डी.एफ.एस.सी. करनाल को पत्र जारी करके लिखा गया कि गेहूँ की गुणवत्ता को ठीक करके एफ.सी.आई.को भेजा जाए। जिस पर डी.एफ.एस.सी. करनाल द्वारा कपिल देव व मुख्यालय चण्डीगढ़ को पत्राचार करते रहे कि गेहूँ अपग्रेड करवाकर एफ०सी०आई० को भेजने बारे कहा गया, परन्तु उक्त गेहूँ का कोई भी सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा अपग्रेडेशन नहीं किया गया, जिस कारण सारी गेहूँ लगभग 6195 किंटल खराब हो चुकी थी जिसका उठान करने से एफ.सी.आई. ने मना कर दिया। डी.एफ.एस.सी. करनाल द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 30.09.2020 तक कपिल देव को पत्राचार करके गेहूँ के रख-रखाव बारे आदेश दिए जाने पाये गए। जिन तीन पलिनथो से गेहूँ का उठान नहीं किया गया था, उनमें से बाला जी राईस मिल में कुल 705 कट्टे गेहूँ के रखे हुए थे जिनमें से दिनांक 06.10.2021 को निरीक्षक योगेश कुण्डु द्वारा अपग्रेड करवाने के बाद एफ०सी०आई० करनाल को 520 कट्टे (240.28) क्विन्टल गेहूँ का उठान करवाना पाया गया, बाला जी राईस मिल में बचे 185 कट्टों को सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा कन्हैया राईस मील में रखवा दिया, जो 6195 किंटल गेहूँ पलिनथो पर बकाया है जो खाने के लायक नहीं रही जिसकी सूचना एफ०सी०आई० द्वारा दिनांक 24.01.2021, 11.05.2021, 29.05.2021, 16.07.2021, 15.12.2021, 17.01.2022 अनुसार पत्रों द्वारा मौजूदा निरीक्षक डी०एफ०एस०सी० करनाल को दी जानी पाई गई। डी.एफ.एस.सी. के पत्र क्रमांक 5361 दिनांक 15.07-2022 अनुसार जितनी गेहूँ का निरीक्षक कपिल देव की नियुक्ति के दौरान एफ सी आई द्वारा उठान किया गया, उसमें भी सरकार की लगभग 4313.85 किंटल कम गेहूँ का उठान करवाया जिससे सरकार को कुल 1.20 करोड़ रुपये की हानि होनी पाई गई जिसकी पुष्टि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करनाल के पत्र क्रमांक 5361 दिनांक 15.07.2022 से होती है, जो गेहूँ लगभग 6195 किंटल पलिनथो पर पर लगी हुई थी उसका विभाग द्वारा नियमानुसार 4 श्रेणी बनवाकर श्रेणी अनुसार लगभग 4 ठेकेदारों को उठा दी गई। जिसके उठान पर सरकार को एफ०सी०आई० के रेट अनुसार लगभग 1,23,26,788/- ₹0 की वित्तीय हानि होनी पाई गई। जिससे पाया गया कि कपिल देव निरीक्षक ने अपनी नियुक्ति के दौरान असन्ध पी आर केंद्र पर खरीद की गई 4313.85 किंटल सरकारी गेहूँ एक सी आई को कम भेज कर दिनांक 01.04.2019 से 02.08 .2021 तक अपनी ड्यूटी के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुये सरकारी गेहूँ के उठान में अमानत में खयानत करते हुये सरकार को करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाकर सरकारी पैसे का गबन करना पाया गया है। इस प्रकार सरकार को 1.20 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि होनी पाई गई है। कपिल देव पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह वासी गांव अम्बोली जिला झज्जर निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग असन्ध, करनाल हाल निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यमुनानगर ने अपनी असन्ध जिला करनाल में बतौर निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में दिनांक 01.04.2019 से 02.08.2021 तक की नियुक्ति के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुये सरकारी गेहूँ के उठान में अमानत में खयानत करते हुये सरकार को करीब 1.20 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि, सरकार को पहुंचा कर गबन करना पाया गया है व पलिनथो पर लगी खराब गेहूँ के रख-रखाव में लापरवाही करने के कारण समय पर भारतीय खाद्य निगम को उठान ना करवाने के कारण विभाग को लगभग 1,23,26,788/- ₹0 की वित्तीय हानि होनी पाई गई है। जो कपिल देव निरीक्षक उपरोक्त द्वारा कुल 2,43,26,788/- रुपये की वित्तीय हानि/गबन करना पाया गया है। अतः कपिल देव निरीक्षक खाद्य एवम आपूर्ति विभाग उपरोक्त के खिलाफ अपराध जेर धारा 409 भा0द0स0 व 13 (1) (ए), 13 (2) पी सी एक्ट 1988 का घटित होना पाए जाने पर तहरीर पर अभियोग अंकित किया जा रहा है और अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी की सम्मिलता पाई जाये



तो उसको भी शामिल अनुसन्धान किया जावे। Sd/- Charan Singh निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल। दिनांक 04.05.2023 अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग सख्या 12 दिनांक 04.05.2023 धारा 409 भा0द0स0 व 13 (1)(ए), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को E-Mail के माध्यम से भेजी जा रहा है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को आगामी अनुसन्धान हेतु अफसरानबाला के आदेशानुसार निरीक्षक सन्दीप न0 32/HAP थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल के हवाले किया जा रहा है। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक चरण सिंह न0 257/KR की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):  
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SANDEEP Rank (पद): I (Inspector)  
KUMAR

No. (सं.): 32HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)  
or (या)

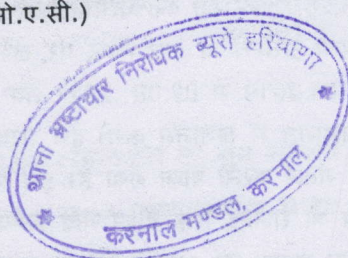
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Charan Singh

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): CHARAN SINGH

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): 257/KR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No.<br>(क्र.सं.) | Sex<br>(लिंग) | Date / Year<br>Of Birth<br>(जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height<br>(cms)<br>(कद<br>(से.मी.)<br>) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2             | 3                                             | 4             | 5                                       | 6                | 7                                    |
| 1                   | Male          | 1975                                          |               |                                         |                  |                                      |
|                     |               |                                               |               |                                         |                  | Is pox pitted: Yes                   |

| Deformities /<br>Peculiarities (विकृतियाँ /<br>विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s)<br>(आदतें) | Dress Habit (s)<br>(पहनावा) |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| 8                                                           | 9            | 10         | 11          | 12                  | 13                          |
|                                                             |              |            |             |                     |                             |

| Language/Dialect<br>(भाषा/बोली) | Place of (का स्थान)                |                                            |              |            |                         | Others (अन्य) |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------|
|                                 | Burn Mark<br>(जले हुए का<br>निशान) | Leucoderma<br>(लुकोदेर्मा(सफ़ेद<br>धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए<br>का) |               |
| 14                              | 15                                 | 16                                         | 17           | 18         | 19                      | 20            |
|                                 |                                    |                                            |              |            |                         |               |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

